P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-6* ISSUE-6*September-2021
E: ISSN NO.: 2455-0817 Remarking An Analisation

# पंचायती राज में महिला आरक्षण राजनीतिक सक्रियता एक माध्यमः उत्तराखण्ड राज्य के विशेष सन्दर्भ में

# Women's Reservation in Panchayati Raj Political Activism a Medium: With Special Reference to the State of Uttarakhand

**Paper Submission: 24/09/2021, Date of Acceptance: 23/09/2021, Date of Publication: 24/09//2021**

**भारती थापा**
शोध छात्रा,
राजनीति विज्ञान विभाग
हेमवती नंदन बहुगुणा
गढ़वाल यूनिवर्सिटी,
हरिद्वार, उत्तराखंड, भारत

## सारांश

भारतीय महिलाऐं आज सभी तरफ की गतिविधियों एवं क्षेत्रों मे सक्रिय है वे आज शिक्षा, राजनीति, मीडिया, मनोरजंन, रक्षा आदि सभी क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाने में सफल रही है साथ ही नये-नये कीर्तिमान स्थापित कर रही है। यद्यपि आज भी महिलाओ की सक्रियता राजनीति के क्षेत्र मे बाकी सभी क्षेत्र से कम है महिलाओ को राजनीतिक क्षेत्र मे आगे लाने हेतु भारतीय संविधान द्वारा अनेक प्रावधन किऐ गये है महिलाओ को राजनीतिक क्षेत्र में सशक्त बनाने हेतु भारतीय संविधान में विशेष प्रयास का परिणाम 73वें संविधान संशोधन है जिसके द्वारा स्थानीय प्रशासन में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटो का आरक्षण किया गया है। प्रशासन द्वारा महिलाओ को आरक्षण दिये जाने का प्रमुख महिलाओं को पुरषों के समान राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाना हैं इससे प्रशासन को ज्यादा पारदर्शी, प्रभावी व उत्तरदायी बनाया जा सकेगा। महिलाओकी स्थिति में परिवर्तन ग्रामीण क्षेत्रो की अपेक्षा शहरी क्षेत्रो में अधिक हुआ। भारतीय संविधान का प्रमुख प्रयास ग्रामीण क्षेत्रो में निवास वाली महिलाओ की स्थिति में परिवर्तन लाना एवं उन्हें सशक्त कर पुरषों के समान स्थिति में लाना है साथ ही महिलाओं को इतनी शक्ति प्रदान करना है जिससे वह निर्णय निर्माण प्रकिया को प्रभावित कर सकें। भारतीय महिलाओ द्वारा राजनीति में भाग लेने की प्रकिया का प्रारम्भ 20वीं सदी में आरम्भ हुआ अतः यह कहा जा सकता हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओ की भागीदारी को अभी अधिक समय व्यतीत नहीं हुआ हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में पंचायती राज में पंचायती राज प्रशासन में महिला आरक्षण का प्रावधान का अध्ययन करना हैं साथ ही यह ज्ञात करना है कि आरक्षण का प्रभाव उत्तराखण्ड की महिलाओं में राजनीतिक सक्रियता को बढ़ाने के लिए कितना उपयोगी सिद्व हुआ हैं। शोध पत्र में आरक्षण द्वारा महिलाओं की स्थिति में होन वाले परिवर्तन का विश्लेष्णात्मक अध्ययन किया जायेगा। उत्तराखण्ड राज्य एक पर्वतीय क्षेत्र में आता है अत यहाँ कि महिलाओ का जीवन मैदानी क्षेत्र की महिलाओं से भिन्न है उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्र की महिलाओ को यहाँ के जीवन की रीढ़ माना जाता है। उत्तराखण्ड के विभिन्न आंन्दोलनो मे यहा की महिलाओं का विशेष योगदान रहा है ओर सदैव रहता है।

Indian women today are active in all kinds of activities and fields, they have been successful in making their mark in all fields like education, politics, media, entertainment, defense etc., as well as setting new records. Although even today the activism of women is less than all other fields in the field of politics, many provisions have been made by the Indian Constitution to bring women forward in the political field. By which 33 percent reservation of seats has been made for women in the local administration. The main purpose of giving reservation to women by the administration is to empower women by providing them participation in the political field at par with men, which will make the administration more transparent, effective and accountable. The change in the status of women was more in urban areas than in rural areas. The main effort of the Indian Constitution is to bring changes in the status of

women living in rural areas and empower them to bring them to the same status as men, as well as to provide so much power to women so that they can influence the decision making process. The process of participation by Indian women in politics started in the 20th century, so it can be said that not much time has passed for the participation of women in the political field. In the present research paper, it is to study the provision of women's reservation in Panchayati Raj administration in Panchayati Raj, as well as to find out how useful the effect of reservation has proved to increase political activism among women of Uttarakhand. In the research paper, an analytical study will be done about the change in the status of women through reservation. The state of Uttarakhand comes in a mountainous region, so the life of women is different from that of the women of the plain area. The women of the hilly region of Uttarakhand are considered to be the backbone of life here. The women of Uttarakhand have made a special contribution in the various movements and always remain so.

**मुख्य शब्द** आरक्षण, प्रावधान, राजनीतिक सक्रियता, माध्यम।

Reservation, Provision, Political Activism, Medium.

**प्रस्तावना**

प्रस्तुत शोध पत्र में उत्तराखण्ड राज्य की महिलाओं की स्थानीय प्रशासन में उनकी वर्तमान स्थिति का अवलोकन किया गया है एवं स्थानीय प्रशासन में आने के पष्चात् महिलाओं के जीवन में आयी समस्याओं को चिन्हित कर उपयुक्त उपाय खोजने का प्रयास भी किया गया हैं।

**शोध प्रविधि**

प्रस्तुत शोध पत्र में द्वितीय स्त्रोतों का प्रयोग करते हुए शोध-विशय के अध्ययन से सम्बधित सामग्री प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण विद्वानों की पुस्तकें, शोधपत्रों में प्रकाशित आलेख, सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट व आंकडों का प्रयोग किया गया है।

**अध्ययन का उद्देश्य**

उत्तराखण्ड राज्य में पंचायती राज में महिला प्रतिनिधित्व का अंकलन करना, पचांयती राज व्यवस्था में महिलाओं आरक्षण का उनकी राजनीतिक सक्रियता के माध्यम में रूप में अवलोकन करना पंचायती राज में महिलाओं की कम सक्रियता के कारणों का पता लगाना महिलाओं को राजनीति में सक्रिय बनाने हेतु आवष्यक सुझाव देना।

**अध्ययन क्षेत्र**

प्रस्तुत शोधपत्र का अध्ययन क्षेत्र उत्तराखण्ड राज्य हैं राज्य का निर्माण 9 नवम्बर 2000 को उत्तर प्रदेश के भाग से विभाजित कर किया गया है इसके निर्माण का प्रमुख कारण यहाँ के लोगों का विकास और प्रतिनिधित्व प्रदान करना था, क्योंकि राज्य का अधिकांश भाग पर्वतीय हैं और दूर्गम है अतः अधिकांश नेता और अधिकारी मैदानी क्षेत्र से संबंधित थे वह अपने कार्यकाल में यहाँ के पर्वतीय क्षेत्रों का दौरा कम ही करते थे ओर प्रशासन द्वारा यहाँ की पर्वतीय क्षेत्र की समस्याओं का उचित निवारण नही हो पाता था।1 लगातार हो रही अवहेलना ओर रोजगार की कमी को पूरा करने के लिए यहाँ के निवासियों द्वारा पृथक राज्य की मांग की गई। उत्तराखण्ड राज्य का भू-भाग 53483 वर्ग किमी में फैला हुआ है। जिसमें 43,035 किमी2 भाग पर्वतीय, 7448 किमी2 भाग मैदानी ओर 34,569 किमी2 भाग वनाच्छादित है। राज्य में कुल 13 जनपद है यह दो मण्डलों में विभाजित है कुमाऊ मण्डल में 6 ओर गढ़वाल मण्डल में 7 जनपद है जिसमे से 4 जनपद मैदानी क्षेत्र में ओर 9 जनपद पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है।

**साहित्यावलोकन**

कुमार विमलेश ने अपने शोध पत्र 'जिला पंचायत निर्वाचन में महिलाओं का आरक्षण एंव उनकी सहभागिता(2017)' में महिलाओं की सहभागिता पर अपने विचार रखते हुऐ स्पष्ट कहा हैं कि आरक्षण द्वारा महिलाओं के राजनीतिक विकास का नया अध्याय षुरू हुआ है ओर यह राजनीतिक क्षेत्र में एक नया इतिहास के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेगा।

काला राकेश, ने अपने शोध पत्र 'पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारीः उत्तरखण्ड के विशेष सन्दर्भ में(2007)',महिलाओं के लिए आरक्षण पर अपने विचार स्पश्ट करते हुऐ कहा हैं कि संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को स्थानीय स्वषासन में आरक्षण देने के उपरान्त से महिलाओं की स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन आया हैं साथ ही महिलाओं में राजनीतिक सक्रियता बढ़ी हैं।

सेमवाल. एम.एम ने अपने शोध पत्र 'महिलाएं एवं राजनीतिः उत्तराखण्ड का एक परिदृष्य(2007)' में महिलाओं की भागीदारी पर विचार स्पश्ट करते हुऐ कहा है कि भारत में महिलाओं के राजनीति में अधिक भागीदार नही हो पाने के लिए कई सामाजिक व राजनीतिक कारण उत्तरदायी हैं इन कारणों को ज्ञात कर एवं उनका सामाधान कर महिलाओं को राजनीति में सक्रिय भागीदार बनाया जा सकता हैं। राजनीतिक प्रशिक्षण देकर एवं सामाजिक जागरूकता को बढ़ा कर इन बाधाओं को दूर किया जा सकता हैं।

सिहं राकेश ने अपने शोध ग्रन्थ 'उत्तराचंल में पिछलें दो दषकों में महिलाओं की राजनीतिक सक्रियता के कारण, प्रभाव एवं सीमाओं का एक अध्ययनः गढ़वाल मण्डल के विषेश सदंर्भ में(2008)' महिला सक्रियता पर अपने विचार रखते हुऐ कहा हैं कि देश के विकास, आधनिकीकरण व प्रगति के लिए सभी नगरिकों का राजनीति में सक्रिय भाग लेना आवश्यक हैं जिसमें महिलाओं की भी समान भागीदारी अत्यन्त आवश्यक है। जिससे देश के सम्पूर्ण जन की भागीदारी संभव हो सकेगी।

ऐष्वर्य ने अपने शोध ग्रन्थ 'उत्तराखण्ड की महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता(2008)' में महिला सहभागिता पर अपने विचार रखते हुऐ कहा है कि लोकतान्त्रिक राज्य की सफलता का आधार जन सहभागिता से ही संभव है व्यवहारिक रूप से नागरिकों की सहभागिता, राजनीतिक सक्रियता के रूप में अभिव्यक्त होती है। नागरिकों में सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए सरकारी व नीजि दोनों क्षेत्रों में कार्य करने की आवष्यकता हैं।

**पंचायती राज व महिला**

भारत में पंचायती राज व्यवस्था प्राचीन काल से चली आ रही हैं यह प्रषासन की सबसे निम्नतम इकाई है अतः स्थानीय स्वषासन में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। भारत जैसे विषाल देश के लिए यह लोकतान्त्रिक व्यवस्था बनाये रखने में उपयोगी है। राश्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने इसकी उपयोगिता को समझते हुए ही इन्हें पूनःस्थापित करने का अग्रह किया था। पंचायती राज व्यवस्था को पून लागू करने के लिए बलवन्त राय मेहता समिति का गठन किया गया ओर आयोग कि रिपोर्ट के आधार पर ही वर्श 1959 में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। आशा के अनुरूप यह व्यवस्था सबसे निम्न स्तर पर राजनीतिक विकेन्द्रीकरण स्थापित कर जन साधारण को राजनीतिक रूप से सक्रिय बनाने का सष्क्त माध्यम सिद्ध हुई है।[4] भारत सरकार द्वारा महिलाओं को राजनीतिक स्तर पर भागीदार सुनिष्चित करने हेतु संविधान में संशोधन कर 73वां व संविधान संशोधन कर पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत स्थानों का आरक्षण किया गया है साथ ही यह आरक्षण पंचायती राज की प्रमुख पदों पर भी लागू किया गया है।[5] हमारे समाज में अनेक विसंगतियों ने महिलाओं की सोच में नकारात्मक प्रभाव परिवर्तन ला दिया है जिसका प्रभाव महलाओं के समान्य जीवन पर बना हुआ है जिस कारण किसी भी प्रकार कम ना होने के उपरांत भी लगभग सभी क्षेत्रों महिलाओं के साथ भेदभाव होता चला आ रहा हैं। तथ्यों से ज्ञात होता है कि भारत में महिलओं की स्थिति विभिन्न कालों में परिवर्तनशील रही है वह कभी भी एक समान नहीं रही हैं।[6] महिलाओ को राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय भागीदार बनाने से निश्चित रूप से उनकी स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन आयेगा, महिलाऐं जीवन के सभी क्षेत्रों में आगे बढ़

सकेगी साथ ही पुरूषो के बराबर वैधानिक, राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में अपने परिवार, समुदाय, समाज एवं राष्ट्र की सास्कृतिक पृष्टभूमि में सकारात्मक निर्णय लेने में समर्थ हो पायेगी।7

अध्ययन क्षेत्र उत्तराखण्ड की महिलाओं का राज्य के निर्माण में सकारात्मक प्रभाव व भागीदारी रही है, यहाँ कि महिलाओं ने पृथक राज्य के आन्दोलन में बड़ी संख्या में भाग लिया ओर अपना अतुलनीय योगदान देकर आन्दोलन को सफल बनाया था। राज्य का अधिकांष भाग पर्वतीय हैं जिस कारण रोजगार के अधिक विकल्प यहाँ मिल पाना सभंव नही है अतः रोजगार व धन का संग्रह करने के लिए यहाँ के अधिकांष पुरूश मैदानी क्षेत्रों में पलायन कर जाते हैं और परिवार के अन्य जनों, माता-पिता व छोटे बच्चों की देखभाल का भार परिवार की महिलाओं के कन्धों पर आ जाता है।8 राज्य में कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाये आती रहती हैं पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर प्राकृतिक आपदाओं के आने की संभावना सदैव बनी रहती जून 2013 में यहाँ पर भीषण प्राकृतिक आपदा आयी जिससे भारी संख्या में जन-धन की हानि राज्य को उठानी पड़ी थी। वर्श 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसख्या 10086929 हैं जिसमे 51,37,733 पुरूश व 49,48,519 महिलाऐं हैं। साक्षरता दर 86.72 प्रतिशत, साथ ही 1000 पुरूषो पर 963 महिला अनुपात हैं। राज्य में कुल 70 विधानसभा सीटे और 5 संसदीय क्शेत्र निर्वाचित हैं। राज्य की कुल 30.23 प्रतिशत जनसंख्या नगरीय व 67.77 प्रतिशत जनसंख्या ग्रमिण क्षेत्रों में निवास करती हैं। तालिका 1 में राज्य के सभी 13 जनपदों की जनसंख्या, वृद्धि दर प्रतिशत, लिगं अनुपात, साक्षरता ओर घनत्व के आंकड़े दर्शाए गये है। तालिका का अवलोकन करने से स्पश्ट होता है कि राज्य की जनसंख्या वृद्धि तेजी से हो रही हैं राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या दर में कमी आयी है, पौड़ी गढ़वाल जनपद में जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक रही तो वही मैदानी क्षेत्रों मे वृद्धि हुई हैं। राज्य में महिलाओं की राजनीतिक स्थिति भारत के षेश राज्यों के समान ही हैं यहाँ कि महिलाऐं सामाजिक समस्याओं के प्रति अधिक जाग्रत हैं महिलाओद्वारा समय≤ पर अनेक आन्दोलनों का संचालन किया गया हैं।

तालिका 1– उत्तराखण्ड राज्य मे जनपदवार जनसख्या, लिंगानुपात, साक्षरता, घनत्व विवरण

| जनपद | जनसंख्या | वृद्धि दर प्रतिशत | लिंग अनुपात | साक्षरता प्रतिशत | घनत्व प्रति |
|---|---|---|---|---|---|
| हरिद्वार | 1,890,422 | 30,63 | 880 | 73.43 | 801 |
| देहरादून | 1,696,694 | 32.33 | 902 | 84.25 | 549 |
| ऊधमसिहं नगर | 1,648,902 | 33,45 | 920 | 73.10 | 649 |
| नैनीताल | 954,605 | 25.13 | 934 | 83.88 | 225 |
| पौड़ी गढ़वाल | 687,271 | –1.41 | 1103 | 82.02 | 129 |
| अल्मोडा | 622,506 | –1.28 | 1139 | 80.47 | 198 |
| टिहरी गढवाल | 618,931 | 2.35 | 1077 | 76.36 | 170 |
| पिथौरागढ़ | 483,439 | 4.58 | 1020 | 76.36 | 68 |
| चमोली | 391,605 | 5.74 | 1019 | 82.65 | 49 |
| उत्तरकाशी | 330,086 | 11.89 | 958 | 75.81 | 41 |
| बागेश्वर | 259,898 | 4.18 | 1090 | 79.83 | 116 |
| चम्पावल | 259,648 | 15.63 | 980 | 80.01 | 147 |
| रूद्रप्रयाग | 242,285 | 6.53 | 1114 | 81.30 | 122 |

स्त्रोत– सांख्यिकीय डायरी, उत्तराखण्ड 2012–13

उत्तराखण्ड राज्य निर्माण के पष्चात् मार्च 2003 में पंचायत निर्वाचन सम्पन्न किये गये जिसके उपरान्त राज्य में कुल 47 नगर पंचायत, 13 जिला पंचायत, 670 न्याय पंचायत, 7950 ग्रांम पंचायत कार्यरत थी। उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा यह घोशणा की गई है कि स्थानीय स्वशासन में 50 प्रतिशत महिलाओं को भागीदार बनाया जायेगा। अत यह देखना आवष्यक होगा कि इन स्थानीय संस्थाओं में कितनी महिला प्रतिनिधि कार्यरत हैं तालिका 2 उत्तराखण्ड राज्य के सभी 13 जनपदो में पंचायती राज व्यवस्था में तीनों स्तरों पर महिला सदस्यों की संख्या के आंकडे दर्शाए गये है जिसका अवलोकन करने से स्पश्ट होता है कि 36,353 स्थानों पर महिला प्रतिनिधि

कार्यरत हैं तालिका 2 का अवलोकन करने पर यह भी स्पश्ट होता है कि राज्य में पंचायती राज व्यवस्था में महिला आरक्षण मिलने के बाद से महिलाऐं स्थानीय संस्थाओं में भाग लेने लगी हैं, राज्य में 30437 महिलाऐं ग्राम पंचायत सदस्य हैं 4007 महिलाऐं ग्राम प्रधान के पद पर कार्यरत है। ग्राम प्रधान की सर्वाधिक संख्या पौड़ी गढ़वाल में कुल 610 व द्वितीय स्थान पर अल्मोड़ा 587 हैं। आकडे से यह भी स्पश्ट होता है कि पौडी जनपद में महिलाओ की स्थिति स्थानीय प्रशासन में अधिक उच्च हैं इसी क्रम मे सबसे कम ग्राम प्रधान चम्पावल व हरिद्वार में 158 हैं। राज्य में महिला क्षेत्र पंचायत प्रमुख की संख्या सर्वाधिक पौड़ी गढ़वाल में 8 है द्वितीय स्थान पर अल्मोड़ा 6 सदस्य संख्या है सबसे कम संख्या रूद्रप्रयाग व पिथौरागढ़ में 1-1 हैं। महिला ग्राम पंचायत की संख्या सर्वाधिक अल्मोड़ा में है यहाँ 3976 सदस्य है, पौड़ी गढ़वाल व टिहरी गढ़वाल क्रमश 3972, 3610 के साथ द्वितीय व तृतीय स्थान पर हैं। रूद्रप्रयाग व चम्पावल 1274, 1171 सदस्य संख्या के साथ अन्तिम दो स्थानों पर हैं।

तालिका 2:– उत्तराखण्ड में पंचायती राज प्रशासन में महिला प्रतिनिधियों की संख्या

| जनपद | ग्राम प्रधान | क्षेत्र पंचायत प्रमुख | अध्यक्ष जिला पंचायत | ग्राम पंचायत सदस्य | क्षेत्र पंचायत सदस्य | जिला पंचायत सदस्य |
|---|---|---|---|---|---|---|
| उत्तरकाशी | 245 | 3 | 1 | 1825 | 104 | 13 |
| टिहरी गढ़वाल | 520 | 5 | 1 | 3610 | 174 | 23 |
| पौड़ी गढ़वाल | 610 | 8 | 1 | 3972 | 209 | 22 |
| चमोली | 309 | 5 | 1 | 2133 | 128 | 14 |
| रूद्रप्रयाग | 170 | 1 | 1 | 1274 | 59 | 9 |
| देहरादून | 231 | 2 | 0 | 2148 | 120 | 22 |
| ऊधमसिंहनगर | 197 | 3 | 0 | 2309 | 140 | 21 |
| नैनीताल | 258 | 4 | 1 | 2159 | 138 | 16 |
| अल्मोड़ा | 587 | 6 | 1 | 3976 | 200 | 24 |
| पिथौरागढ़ | 347 | 4 | 0 | 2442 | 146 | 17 |
| बागेश्वर | 208 | 1 | 0 | 1478 | 60 | 10 |
| चम्पावत | 158 | 3 | 1 | 1940 | 67 | 21 |
| हरिद्वार | 158 | 3 | 1 | 1940 | 109 | 21 |
| योग | 4007 | 47 | 8 | 30437 | 1654 | 200 |

स्त्रोत:– राज्य निर्वाचन आयोग, 2018

राज्य में महिला क्षेत्र पंचायत सदस्य की कुल संख्या 1654 है जिसमें 209 सदस्यों के साथ पौड़ी गढ़वाल प्रथम स्थान पर अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ 200 व 146 महिला सदस्यों के साथ द्वितीय व तृतीय स्थान पर हैं। पंचायती राज अधिनियम के लागू होने के बाद से महिलाओं की संख्या ओर प्रतिनिधित्व में वृद्वि हुई है। जिससे उनकी सामाजिक व राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन आया है। महिलाऐं राजनीतिक क्षेत्र में अधिक सक्रिय हुई है।[9]

**निष्कर्ष**

राज्य में पंचायती राज अधिनियम के लागू होने के बाद से महिलाओं की संख्या इन संस्थाओं में निष्चित रूप से बढ़ी है परिवार के दबाव, सरकार द्वारा कि गई आरक्षण की व्यवस्था, पुरूशों से प्राप्त राजनीतिक पद के छिन जाने के भय अनेक कारणों द्वारा महिलाओं को स्थानीय स्वषासन संस्थाओं में लाया गया। कारण जो भी रहे हो पर इसके परिणाम अच्छे व महिलाओं के पक्ष में रहें। आरक्षण के कारण ही महिलाऐं अपने घरों से बाहर निकल पायी व प्रशासन के क्षेत्र में अपना योगदान दे पायी। तालिका 2 से स्पष्ट होता है कि महिलाऐं लगभग सभी पदों पर कार्यरत है महिलाए ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, अध्यक्ष जिला पंचायत, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य ओर जिला पंचायत सदस्यों के पदों पर निर्वाचित होकर कुषलता से अपने दायित्वों का निर्वाह कर री हैं। राज्य के निर्माण से राज्य की महिलाओं की स्थिति में निम्न परिवर्तन प्रकट हुऐ हैं। आरक्षण कानून के कारण महिलाओं की विकास प्रक्रिया में हिस्सेदारी में वृद्वि हुई हैं। शिक्षा के क्षेत्र में रूचि बढ़ी है साथ ही महिलाओं की आय का स्त्रोत भी प्राप्त हुआ हैं। सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सुधार आया हैं। आरक्षण का ही परिणाम है कि महिलाओं के

लिए निश्चित पदों का गठन किया गया हैं जिस कारण महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में भाग लेने के लिए किसी अन्य अधिकारी, नेता या अपने परिवार के पुरूश सदस्य पर निर्भर होने की आवश्यकता कम हो गई है, महिलाऐं अपने अधिकारों व अवसरों का लाभ उठाने मे समर्थ बन पायी है। पुरूशों के साथ कार्य कारने, बात-चीत करने में जो सकोच, डर व हिचकिचाहट थी वह कम हुई है साथ ही स्वयं से कार्य करने में आत्मविष्वास भी आया हैं। पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी इस आरक्षण के कारण राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखने का अवसर प्राप्त हुआ है पंचायती राज के तीनों स्तरों के अधिकारीयों व पदाधिकारियों से सम्पर्क होने लगा हैं। घर की चार दिवारों से बाहर आकर अपने अधिकारों व विचारों को रखने की क्षमता का विकास महिलाओं में पैदा हुआ है। आरक्षण का ही प्रभाव है कि महिलाऐं आज सक्रिय राजनीति में भाग ले पा रही हैं।[10]

**भविष्य के अध्ययन के लिए सुझाव**

भारत सरकार द्वारा स्थानीय स्वशासन में महिलाओं को सक्रिय बनाने के लिए किया गये कार्य एक महत्वपूर्ण कदम हैं लेकिन यह महिलाओं के स्वयं के निर्णय पर निर्भर है कि वह इस अवसर का कितना लाभ उठा पाती है। राज्य में महिलाओें को राजनीतिक कार्यों में सक्रिय बनाने के लिए सर्वा प्रथम महिलाओं को अनके दायित्व की जानकारी प्रदान कि जानी चाहिऐ, जिसके लिए उचित रूप से प्रशिक्षण प्रदान करने कि व्यवस्था की जानी चाहिऐ। राज्य की विषम परिस्थिति को समझाते हुऐ महिलाओं के कार्यस्थल तक आने-जाने की उचित व्यवस्था सरकार द्वारा की जानी चाहिए। जिससे महिला सदस्य को किसी अन्य सदस्य पर निर्भरता समाप्त हो जायेगी। महिलाओं को लगातार मनोबल में वृद्धि करने के लिए आवष्यक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिऐ। महिलाओं द्वारा सुझाव गये विचारों ओर कार्यक्रमों पर पर्याप्त रूप से लागू करना चाहिऐ। जिससे कि महिला सदस्यों के अन्दर आत्मविष्वास पैदा हो सकें। उच्च अधिकारियों को महिला सदस्यों के साथ होने वाले व्यवहार का अवलोकन समय≤ पर किया जाना चाहिए ओर आवश्यकता होने पर निदेश ओर सदेश दिये जाते रहने चाहिऐ। जिससे अन्य सदस्यों में उनका प्रभाव बना रहे कि यदि वह किसी महिला सदस्य के साथ अनुचित व्यवहार करेगें तो उन्हें अन्य अधिकारियों को जवाब देना होगा। महिला सदस्यों को अपने घर की जिम्मेदारी को भी पूरा करना होता हैं अतः महिलाओं के लिए हर समय प्रषासन के कार्य के लिए समय निकालना सभंव नहीं है अतः महिलाओं के समय को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाना चाहिऐ जिससे वह अपने गृह कार्यो को भी पूरा कर सकें।

**सन्दर्भ ग्रन्थ सूची**


1. *कोनिया केदार सिहं, "उत्तरचल राज्य का सक्षिप्त इतिहास", विनसर पब्लिकेशन, देहरादून, 2005, पृश्ठ स0- 16*
2. *http://hi.wikipedia.org*
3. *http://hindi.mapsofindia.com*
4. *काला राकेश, "पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी उत्तराखण्ड के विशेष सन्दर्भ में", समाज विज्ञान शोध पत्रिका, अगस्त, 2007, पृश्ठ स0-185*
5. *आर्य साधना एवं अन्य, "नारीवादी राजनीतिक सघर्श व मुद्दे", हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेषालय, दिल्ली विष्वविद्यालय, 2013, पृश्ठ स0-345*
6. *कुमार विमलेश, "जिला पंचायत के निर्वाचन में महिलाओं का आरक्षण एवं उनकी सहभागिता", समाज विज्ञान विकास संस्थान, बरेली, 2017, पृश्ठ स0- 155*
7. *डंगवाल किरन एवं अन्य, "वैष्वीकरण एवं पर्वतीय महिलाऐं" समाज विज्ञान शोध पत्रिका, अगस्त 2007, पृष्ठ स0-182*
8. *8- नवानी लोकेश, "उत्तराखण्ड ईयर बुक", विनसर पब्लिषिंग क0, 2016, पृश्ठ स0-130*
9. *काला राकेश, "पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी उत्तराखण्ड के विषेश सन्दर्भ में", समाज विज्ञान शोध पत्रिका, अगस्त, 2007, पृश्ठ स0- 187*
10. *http://www.pravakta.com*